

2134

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-3/2021

Dated Shimla-171002, the

20 -03-2021

Order

Sub:- **Diversion of 0.3555 ha of forest land in favour of I & PH Department for the construction of Inspection Hut & IPH Division Store, within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-एच0पी0बी0 041/2011-सी0एच0ए0/1398 दिनांक 29/09/2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.3555 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 पौधों का रोपण कार्य प्रस्ताव के अनुसार दी गई वनाच्छादित वन भूमि में किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें एवं संबंधित हेतु स्कीम की एक प्रति कार्यालय में प्रेषित करें।
ख) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जाएंगे।
7. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

Contnd. P/2

PCF(CHOFF)
23/03/2021

9. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
10. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
12. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
13. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
14. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
15. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
16. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन विभाग की देख-रेख में ही पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
17. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार,

आर. डी. धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2021

Dated, Shimla-171001 the,

20-03-2021

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF (FCA), O/o HPFD HQ Talland, Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Kangra at Dharamshala, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.
6. DFO, Dharamshala Forest Division, Distt., Kangra, H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Dharamshala, Distt. Kangra, HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 20-3-2021

Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

3356

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2021

Dated Shimla-171002, the

24 -03-2021

Order

Sub :- Diversion of 2.354 ha of forest land for the construction of link road from Sillaghrat to Uil (Km. 0/0 to 3/600), within the jurisdiction of Chamba Forest Division, Distt. Chamba, H.P. (Online No. FP/HP/ROAD/19356/2016).

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **08B/HP/06/41/2018/FC/910** dated 29-07-2019 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में विशेषता 2.354 ha वन भूमि को HPPWD को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF Mohri में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 4.70 हे० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए एवं संशोधित सी.ए. स्कीम रु० 8,76,162/- हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।
3. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
4. Nodal Officer-cum-APCCF(FCA) O/o PCCF(HoFF)H.P.Talland Shimla vide his letter No Ft. 48-3350/2016 (FCA) dated 04-09-2019 which is addressed to APCCF,MoEF&CC,GoI has informed that stipulation imposed at Sr. No. 4 vide their letter No. 08B/HP/06/41/2018/FC/910 dated 29-07-2019 has been complied with.
4. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति का Plantation किया जायेगा।

Contd./-2

- 10 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये Layout Plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
- 11 कम से कम वृक्षों का कटान/पातन हो, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 536 trees से अधिक न हो।
- 12 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 13 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 14 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना वन विभाग हि0 प्र0/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 15 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2021 Dated, Shimla-171001 the, 24 -03-2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

- 1 Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
- 3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
- 4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
- 5 The Deputy Commissioner, Chamba, Distt., Chamba, Himachal Pradesh.
6. DFO Chamba Forest Division, Distt., Chamba H.P.
- 7 The Ex-Engineer, HPPWD Chamba, H.P.
- 8 Guard File.

(Sat Pal Dhiman)

Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

3358

हिमाचल प्रदेश
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-3/2021

Dated Shimla-171002, the

20-03-2021

Order

Sub:- Diversion of 3.9 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kainthly Nallah to Bhidroh (Kms 0/0 to 6/700), within the jurisdiction of Chamba Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh. (online no. FP/HP/Road/19755/2016).

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/50/2017/एफ.सी./23 दिनांक 19/10/2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 3.9 हे० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
 - क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 7.58 हे० DPF Drati पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें।
 - ख) राज्य वन विभाग द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।
 - ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. **दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण:**
 - क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 2.55 हे० Drati DPF of Chakoli Range पर दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।
 - ख) राज्य वन विभाग द्वारा PCA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।
 - ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त PCA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 171 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
6. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
7. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
8. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

Contnd. P/2

5375
25/3/21
S/Def
APCF (FCA)
PCF (HFF)
23/03/2021

9. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
17. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
18. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग की देख-रेख में ही पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
19. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार,

आर. डी. धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

-Contnd. P/3

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2021

Dated, Shimla-171001 the,

20 -03-2021

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA), O/o HPFD HQ Talland, Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, Distt. Chamba, Himachal Pradesh.
6. DFO, Chamba Forest Division, Distt., Chamba, H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Chamba, Distt. Chamba, HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 20-3-2021

Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.
